न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 267 / 2024

अनवान : –

1. बलराम पुत्र लिछमण उर्फ लिच्छुराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. जगदीश पुत्र लिछमण उर्फ लिच्छुराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर ।

– सायलान

बनाम्

1. प्रताप पुत्र लिछमण उर्फ लिच्छुराग जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रामजीलाल पुत्र लिछमण उर्फ लिच्छुराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. छोटी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. महेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. कविता पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. कमलेश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता सायल

निर्णय

दिनांक: 26/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 174 / 174 के प० नं0 371 / 429 (25) के किला नं. 21 की 0.2530 है० भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ओमप्रकाश पुत्र लिछमण उर्फ लिच्छुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद गैरसायल संख्या 3 ता 6 जायज कानूनी वारिस है। उपरोक्त भूमि मुश्तरका खाता की भूमि हैं जिसमें सायलान व गैरसायलान समी का हक हिस्सा है। लेकिन गैरसायलान सायलान की भूमि में जबरन काबिज होकर तथा अनाधिकृत रूप से भूमि में प्रवेश करके निर्माण कर अपना कब्जा साबित करने की फिराक में है। इसलिए सायलान गैरसायल संख्या 1 ता 6 जो जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने के अधिकारी है कि वे रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 174 / 174 की कुल तादादी 0.2530 है० भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश हो[illegible] किया गया। रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 174 /[illegible] भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई अप्रार्थी स0 [illegible] 6 [illegible] की सींव व डोल क[illegible]ार न करे व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:36:41 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के निर्माण कार्य न करे। में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील वादी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की अप्रार्थीगण प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर निर्माण करना चाहते है जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वे उक्त भूमि में निर्माण कार्य न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

हस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 174/174 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान स0 1 ता 2 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा इनके कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा है एवं प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर निर्माण कार्य करना चाहते है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य करना एवं प्रार्थी की सींव व डोल तोड़ जा रहा हो। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 21.10.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:56:41 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर